राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का तेरहवां दिवस [संख्या ८

सोमवार, ६ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक मध्यान्हपूर्व ११-१५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा आय-व्ययक भाषण

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(करतल-ध्वनि)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का १९५७ – ५८ का ब्यौरेवार वार्षिक [illegible]ण प्रस्तुत करता हूं । "ब्यौरे-[illegible]" शब्द खास महत्व रखता है, क्योंकि लेखागत मत (Vote on Account) सम्बन्धी सावैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये चालू वर्ष का वित्तीय विवरण, जिसमें आय व व्यय के अनुमान शामिल थे, पिछली सरकार द्वारा गत विधान सभा के सामने रक्खा जा चुका है ।

स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तैयार किये गये अनुमान सब बातों में परिपूर्ण नहीं हो सकते थे, क्योंकि कुछ ही सप्ताह बाद एक नई विधान सभा तथा एक नई सरकार बनने वाली थी और वर्ष के वित्तीय व्यवहार उसी सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के प्रतिबिम्ब होने थे । अतः नई सरकार के सामने सबसे पहला काम था इस सदन के समक्ष रखनेके लिए नये सिरे से आय-व्ययक तैयार करना । पिछली बार जिस काम चलाऊ आय-व्ययक के लिये लेखागत मत प्राप्त किया गया था, उसमें आवश्यकतानुसार रद्दोबदल कर दी गई है और संशोधित अनुमान तैयार किये गये हैं ।

हालांकि राजस्व आय के अनुमान तैयार करते समय समस्त उपलब्ध उपादानों, प्रचलित आर्थिक प्रवृत्तियों तथा अन्य प्रासंगिक मुद्दों को ध्यान में रक्खा गया था, परन्तु उस पूर्व निरूपण में इस वर्ष जुटाये जाने वाले अतिरिक्त साधनों को शामिल नहीं किया गया था । अतिरिक्त साधनों के प्रस्ताव बनाने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने का काम नई सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया था । इसी तरह व्यय के क्षेत्र में भी अंगोकृत व्यय तथा राष्ट्रीय आयोजना आयोग द्वारा अनुमोदित कालक्रम(Phasing) के अनुसार योजना कार्यक्रम व्यय की व्यवस्था की गई थी । विभिन्न विभागों की नई आवश्यकताओं पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया था ।

अनुमानों की विवेचना करने से पहले मैं सदन को उन विभिन्न कारणों का परिचय देना आवश्यक समझता हूँ जिनका प्रभाव अनुमानों के पुनरीक्षण तथा अन्तिम रूप देने पर पड़ा है ।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत को

Page No.2

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहली और प्राथमिकता की अपेक्षा रखने वाली समस्या द्वितीय महायुद्ध तथा देश विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली अन्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी थी। इसलिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें, दोनों पर इससे जूझने की जिम्मेदारी आ पड़ी। कुछ समय तक राज्य सरकारों ने स्थानीय आवश्यकताओं व साधनों को ध्यान में रख कर कार्यक्रम बनाये। परन्तु शीघ्र ही महसूस किया गया कि इन सारे कार्यों का समायोजन करके देश भर के लिये एक सम्मिलित योजना बनाई जाय। अतः समूचे देश की क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था के संतुलित तथा सर्वतोमुखी विकास की साधना के लिये १६५० में राष्ट्रीय आयोजना आयोग स्थापित किया गया और देश की अत्यावश्यक अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर तथा उपलब्ध साधनों का हिसाब लगा कर, पांच वर्ष की अवधि के लिये एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कहलाई।

पहली योजना का लक्ष्य था जनता की तात्कालिक आवश्यकतायें पूरी करना तथा अर्थव्यवस्था को आधार से ही मजबूत बनाना। पांच वर्ष की अवधि में, १६५१ से ५६ तक, इस दिशा में वास्तविक सफलता प्राप्त हुई है। आंकड़ों से पता लगता है कि राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई और खाद्यान्नों का उत्पादन २० प्रतिशत बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा। प्रथम योजना की सफलताओं का उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि देश की जनता को देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में जन-सहयोग के मूल्य का भान हुआ। जन-सहयोग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुआ और स्थानीय विकास तथा अन्य कार्यक्रमों में सरकार प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हुई। साथ ही दूरवर्ती आयोजन की आवश्यकता भी महसूस कर ली गई। परिणाम स्वरूप विकास के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है और देश भर में तीव्र प्रगति की मांग हो रही है।

परन्तु प्रथम योजना के लाभों के बावजूद, यह तथ्य सामने है कि हम जीवन का स्तर बहुत हद तक ऊंचा नहीं उठा पाये हैं। अभी हमें पिछड़े हुए रास्ते को तय करना है और राष्ट्र को अपनी सारी शक्तियां लगा कर तथा भरसक प्रयत्न करके आर्थिक व सामाजिक ढांचे में ऐसा परिवर्तन लाना है जिससे समाजवादी समाज निर्माण करने का मूलभूत उद्देश्य सिद्ध हो सके। जीवनस्तर में, अथवा भौतिक सुख-साधनों में, उन्नति के लिहाज से जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं वे अपने आप में कोई सिद्धि नहीं है। ये तो एक सिद्धि के साधनमात्र हैं। उद्देश्य है समाजवादी समाज रचना जिसमें आर्थिक विकास के लाभ समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों को उत्तरोत्तर अधिक मिलने लगें और आय, धन तथा आर्थिक अधिकार के एकीकरण में उत्तरोत्तर कमी होती जाय। अत: समाजवादी समाज रचना में जोर इस पर है कि जीवनस्तर की उन्नति के लिए तथा सब श्रेणी के लोगों को समान अवसर देने के लिए निश्चित किये गये लक्ष्य प्राप्त हों।

इस आदर्श के अनुरूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य हैं :—

(क) राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि जिससे देश के लोगों का जीवनस्तर ऊंचा उठे,

(ख) तीव्र गति से औद्योगीकरण जिसमें आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

अधिक जोर दिया जाय,

(ग) रोजगार के अवसरों का विस्तार,

(घ) आय तथा धन की असमानताओं में कमी तथा अर्थ-व्यवस्था का अधिक समानीकरण ।

विकास कार्यक्रमों की रचना में आयोजना आयोग तथा राज्य सरकारों ने इन्हीं मोटी बातों को प्रधानता दी है । यह सही है कि राज्य योजना स्थानीय अपेक्षाओं व आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिये, परन्तु कार्यक्रम का समूचे देश की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय भी उतना ही आवश्यक है । अत: राज्य के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय विकास का एक अंग माना जाना चाहिये ।

राजस्थान मुख्यतया एक कृषि-प्रधान राज्य है, इसलिये प्रथम योजना में कृषि व सिंचाई को सबसे ऊपर स्थान दिया गया । दूसरा स्थान सड़कों को दिया गया । सामाजिक सेवाओं को भी उचित हिस्सा दिया गया, परन्तु राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए इस मद के लिये निर्धारित धन - राशि बिल्कुल अपर्याप्त थी ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलताओं का लम्बा चौड़ा विवरण देकर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता । परन्तु फिर भी इन का समग्र रूप से सिंहावलोकन प्रस्तुत करना तो आवश्यक ही है जिससे, हमने जो मूलभूत उद्देश्य अपने सामने रक्खे हैं, उन्हें प्राप्त करने की दिशा में हमारे प्रयत्नों की सीमा का हिसाब लगाया जा सके और हमको पता लग जाय कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं । कृषि, सिंचाई व बिजली के क्षेत्रों के लिये निर्धारित धन-राशि कुल मिलाकर ४१५७.२ लाख रुपये थी जिसके मुकाबले में खर्च ३३ करोड़ रुपये का हुआ । लगभग ८० प्रतिशत भौतिक लक्ष्य पूरे कर लिये गये । संचार के अन्तर्गत काफी प्रगति की गई और कुल धन-राशि का ६६ प्रतिशत खर्च हुआ ।

सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी वर्णनीय प्रगति हुई । कुल ११.६६ करोड़ रुपये की धनराशि में से करीब ६ करोड़ रुपया खर्च हुआ ।

संक्षेप में हम प्रथम योजना के लक्ष्यों की ८० प्रतिशत तक पूर्ति कर सके हैं । परन्तु एक सफलता बहुत महत्वपूर्ण है । जनता के दृष्टिकोण में सर्वांगीण परिवर्तन हुआ है । लोग समझने लगे हैं कि राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में उनका क्या भाग है । योजनाओं को क्रियान्वित करने में उनका भौतिक सहकार तथा धनराशि व सामग्री के रूप में उनका योगदान उल्लेखनीय है । जहां तक जनता के सहयोग का सम्बन्ध है, राजस्थान का दर्जा देश में बहुत ऊंचा है । लोगों में चेतना व स्फूर्ति जागरित हुई है और हर श्रेणी के लोग तरह तरह का सहकार दे रहे हैं । यह बहुत अनुकूल तथ्य है ।

हमारा राज्य अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ तथा अविकसित था, क्योंकि राजाओं-महाराजाओं के शासन में वित्त के अभाव तथा अन्य कारणों से विकास का कोई बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना सम्भव नहीं था । अत: राज्य की विशाल सम्भावनाएं अविकसित बनी रहीं । किसी भी योजना का लाभ उठाने से पहले उसमें काफी पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है । इस दृष्टि से हमारी वित्तीय आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं । भाखरा, चम्बल,

Page No.4

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

अधिक राजस्थान नहर आदि की योजनाएं जिनसे राज्य समृद्ध होगा केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गई हैं और सारी आवश्यक धन-राशि भारत सरकार की ओर से दी जायगी, अलबत्ता मिलेगी ऋण के रूप में। अन्य योजनाओं के लिए भी काफी हद तक सहायता मिलेगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साधनों का हिसाब लगाने में अतिरिक्त करों द्वारा साधन बढ़ाने का हमारा अंश भी निश्चित कर दिया गया है।

अतः हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि न केवल निश्चित लक्ष्य ही प्राप्त करें बल्कि उससे भी आगे बढ़ जायें, क्योंकि जितना अतिरिक्त धन हम जुटा सकेंगे उतना ही वह हमारी योजना का आकार बढ़ाने में काम आयेगा। इसलिए यदि बजट में घाटा दिखाई देता है तो यह डरने की बात नहीं है। बल्कि इससे उल्टा अधिक प्रोत्साहित होकर इस घाटे को पूरा करने के लिए साधन जुटाने में लग जायें।

यह घाटा खर्च में कमी करके आसानी से पूरा किया जा सकता था और बजट को संतुलित बनाया जा सकता था। परन्तु इससे हमारी प्रगति में बाधा पड़ती और मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य भी इस प्रतिगामी कदम को पसन्द नहीं करते। अतः अतिरिक्त साधन जुटाने में लोगों को कुछ असुविधा भी हो अथवा उन्हें कुछ त्याग भी करना पड़े तो राज्य व देश के हित में इसके लिए तत्पर रहना चाहिये।

माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस पृष्ठभूमि को सामने रखते हुए १९५७-५८ के आयव्ययक अनुमानों पर विचार करें।

दो बातें और भी हैं, जो यहां खास तौर पर उल्लेखनीय हैं। १ नवम्बर, १९५६ से राज्य पुनर्गठन अधिनियम अमल में आ गया है। जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, पुनर्गठन की योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय रद्दोबदल से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारा नया राज्य इनको मिलकर बना है।

(क) पुराना राजस्थान राज्य, जिसमें से मध्यप्रदेश को हस्तान्तरित कोटा जिले का सिरोंज सब-डिवीजन निकल गया है,

(ख) भूतपूर्व अजमेर राज्य, तथा

(ग) भूतपूर्व बम्बई राज्य का आबू तालुका और भूतपूर्व मध्यभारत की सुनेल टप्पा तहसील, जो नये मिले हैं।

वित्तीय परिणामों के लिहाज से भी अजमेर राज्य के सिवा दूसरे क्षेत्रों के हस्तान्तरण का प्रभाव नहीं के बराबर है। अलबत्ता अजमेर के विलय ने राज्य की वित्तीय स्थिति को किसी हद तक असंतुलित कर दिया है, क्योंकि यह घाटे का क्षेत्र है और अब तक केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता पर आश्रित रहा है। यह सहायता उसकी राजस्व आय का बहुत बड़ा भाग रही है।

अजमेर राज्य के १९५६-५७ से संबंध रखने वाले आय-व्ययक अनुमानों में १०८ लाख रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया था और इस सारी रकम की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता के रूप में की गई थी। पूंजी व्यय का सारा वित्तीय भार भी केन्द्रीय सरकार उठाती थी।

जनवरी, १९५७ में वित्त आयोग का

Page No.5

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

आगमन गत वर्ष की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है। वित्त आयोग को दिये गये विस्तृत ज्ञापन में हमने अपनी वित्तीय अपेक्षायें व आवश्यकतायें उनके सामने रक्खीं। संक्षेप में सहायता के लिये हमारी मांगे ये हैं:—

१. केन्द्रीय करों के विभाज्य कोष में से वर्द्धित भाग।

२. (क) पाकिस्तान की सीमा पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस पर किये जाने वाले खर्च की पूर्ति। ६० लाख

(ख) अन्तर्राज्य राहदारी के उत्पादन से पैदा होने वाली राजस्व घटी को पूरा करने के लिये अनुदान सहायता। १५० लाख

(ग) अजमेर क्षेत्र की राजस्व घटी की पूर्ति के लिए सहायता- १५० लाख

३. नीचे लिखे कार्यों के लिये विशेष सहायता :—

(क) अकाल। २३ लाख आवर्तक

(ख) प्रशासकीय पुनर्गठन, जिसमें वेतन के मान तथा मंहगाई भत्ता शामिल है। १११ लाख अनावर्तक

(ग) प्रशासकीय इमारतें १०० लाख आवर्तक

(घ) इमारती व सड़कों को ठीक रखने व मरम्मत करने के लिए १५२ लाख अनावर्तक

(च) जल व्यवस्था व नालियां ४० लाख अनावर्तक

(छ) पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनायें ५६ लाख
२० लाख आवर्तक
३६ लाख अनावर्तक

(ज) शिक्षा का विस्तार १३२ लाख

(झ) चिकित्सा व स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि २६ लाख
११.११ आवर्तक
१७.८६ अनावर्तक

(ट) ऋणों व ब्याज की दरों के मामले में राहत।

१ नवम्बर, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक की पांच महीनों की अवधि के लिये नये राज्य का समेकित (अन्तरिम) बजट तैयार किया गया था। अब राजस्थान के संयुक्त राज्य का यह पहला नियमित बजट चालू वित्तीय वर्ष के लिए बनाया गया है। इन अनुमानों में राजस्व तथा व्यय, दोनों ही तरफ अजमेर के विलय का प्रभाव दर्शाया गया है।

अन्तरिम आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार राजस्व लेखे में ४४२.२६ लाख रुपये का घाटा प्रत्याशित था। राजस्व आय की रकम २७३७.३६ लाख थी और राजस्व प्रभार्य व्यय ३१७९.६२ लाख था। राजस्व आय में विकास योजनाओं के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली २३२.६६ लाख की सहायता भी शामिल की गई थी और योजना कार्यक्रमों के परिपालन के लिए ५२६.४१ लाख (राजस्व व्यय) का प्रावधान व्यय के अनुमानों में रक्खा गया था।

यदि विकास योजनाओं सम्बन्धी आय व व्यय दोनों की रकमों को, तथा वित्त आयोग

Page No.6

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

की अन्तरिम सिफारिशों के अनुसार भारतीय संविधान की धारा २७५ (१) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली ११५ लाख रुपये की सहायता को छोड़ दिया जाय तो परिणाम स्वरूप राजस्व आय का अनुमानित आंकड़ा २३८६.६४ लाख हो जाता है और राजस्व व्यय का आंकड़ा २६५०.२१ लाख हो जाता है, जिससे २६०.५७ लाख के घाटे की सूरत बनती है। ११५ लाख रुपये की सहायता को मुजरा करने पर यह १४५.५७ लाख रह जाती है।

४४२.२६ लाख के घाटे में (क) १४५.५७ लाख सामान्य राजस्व तथा अंगीकृत व्यय के बीच का फर्क और (ख) २९६.७२ लाख योजना व्यय संबंधी कमी, शामिल है।

अन्तरिम बजट में व्यय की नई मदों के लिये कोई व्यवस्था नहीं रक्खी गई थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जाने से पहले आयोजना आयोग ने राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके उन वित्तीय साधनों का अन्दाज लगाया जिनको योजना कार्यक्रमों के परिपालन के लिये, केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध किये जाने की आशा थी। द्वितीय योजना अवधि में जुटाये जाने वाले अतिरिक्त साधनों के लक्ष्य भी निर्धारित किये गए। प्रारम्भ में राजस्थान के लिये ५.१ करोड़ (३.८ करोड़ राजस्व लेखे में तथा १.३ करोड़ पूंजीय लेखे में) का लक्ष्य निश्चित किया गया था परन्तु बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के फलस्वरूप यह बढ़ा कर ८ करोड़ दिया गया। हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्थिति का पुनरावलोकन किया और यह आवश्यक माना गया कि केन्द्रीय व राज्य सरकारें, दोनों के लक्ष्यों को और भी ऊंचा किया जाय। १९५७-५८ के वर्ष के लिये १.८ करोड़ के अतिरिक्त साधन जुटाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। योजना पर होने वाली २३४२.७४ लाख की कुल लागत में से राज्य सरकार को १९५७-५८ के योजना कार्यक्रमों के परिपालन के लिये राजस्व व पूंजी, दोनों लेखों में ५.६ करोड़ का अंशदान देना होगा। इसमें अतिरिक्त कर उपायों द्वारा प्राप्त १.८ करोड़ भी शामिल है।

अन्तरिम आयव्ययक के अन्तर्गत आय तथा व्यय दोनों के अनुमानों की दुबारा जांच की गई और संशोधित अनुमान तैयार किये गये। कुल राजस्व-आय का हिसाब २६३८.३३ लाख रुपये बैठता है जिसमें अन्तरिम बजट अनुमानों की तुलना में २०१ लाख रुपये की बढ़ोतरी है। यह बढ़ोतरी १९५६-५७ के उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों पर आधारित वृद्धियों व कमियों से तथा अन्य साधनों से प्राप्त हुई है।

भू-राजस्व के अन्तर्गत ६० लाख रुपये की बढ़ोतरी दिखाई गई है क्योंकि अन्तरिम आय-व्ययक में उन नये क्षेत्रों से प्राप्त होने वाला भू-राजस्व दिखाया गया था जिन पर खेती होने लगी है। इसके अलावा भू-राजस्व की बकाया रकम इकट्ठी होकर बहुत बड़ी राशि बन गयी है, अतः इसकी वसूली के लिए कुछ सख्त कार्यवाही करने का विचार है। जागीरदारों के क्षतिपूर्ति के दावों के हिसाब में जो पावने की रकम उनसे वसूल होने वाली है उनके जमा-खर्च से भी इस मद की आय में वृद्धि होगी।

गत वर्ष के वास्तविक आँकड़ों के आधार पर स्टाम्पों के अन्तर्गत भी कुछ वृद्धि की आशा रखना वाजिब है। वनों के अन्तर्गत

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

२ लाख की वृद्धि यह ध्यान में रखकर दिखाई गई है कि इस वर्ष बकाया पावनों के वसूल होने की आशा है। ब्याज के अन्तर्गत भी वर्द्धित आय की आशा है। यह वृद्धि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगाई हुई पूंजी के ब्याज की वसूली से, तथा अन्य ऋणों व अग्रिम धनों पर ब्याज की अधिक आय से होगी। अन्तरिम बजट में शिक्षा के अन्तर्गत साधारण आय की अनुमानित रकम कम दिखाई गई थी। परन्तु शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के साथ हर साल विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, अत: अन्तरिम बजट के अनुमानों में साधारण आय का जो आंकड़ा रखा गया था उसके ऊपर ५ लाख रुपये की अधिक प्राप्ति कठिन नहीं होनी चाहिए। प्राप्ति के पूर्व अनुमान की राशि इस कारण बड़ी है कि इसमें विकास योजनाओं के लिये सहायता का ६७.२४ लाख रुपया तथा पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की योजना के लिए १२ लाख रुपया शामिल है। व्यय के अनुमानों में राष्ट्रीयकरण की इस योजना के लिये १०.५३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। उद्योग तथा पूर्ति, विविध विभागों, बिजली, नागरिक निर्माण कार्यों तथा फुटकर मदों के अन्तर्गत अनुमान भी बकाया पावनों को ध्यान में रख कर बढ़ा दिए गये हैं।

अन्य मदों के अन्तर्गत अनुमान वही है जो अन्तरिम बजट में रखे गये थे। इन राशियों को अंगीकार करने के कारण, बजट के व्याख्यात्मक अनुपूरक स्मृतिपत्र में दिये गये हैं।

सिंचाई के अन्तर्गत वास्तविक मूल्यांकन तथा इस वर्ष की जाने वाली वसूलियों के आधार पर १० लाख रुपये की शुद्ध कटौती की गई है।

व्यय की मद में अनुमानों का कुल जोड़ ३२१८.६४ लाख रुपये बैठता है, जिसमें २६८४.५३ लाख रुपये अंगीकृत व्यय के तथा ५३४.४१ लाख रुपये विकास योजनाओं सम्बन्धी व्यय के हैं। विकास कार्यक्रमों पर किए जाने वाले व्यय के अलावा दूसरे व्ययों के अनुमानों की विशिष्टता ये हैं:—

(क) सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में ५ रुपये मासिक की एक मुश्त वृद्धि के लिये ६३.६८ लाख रुपये की व्यवस्था। यह भत्ता केवल उन कर्मचारियों को दिया गया है जिन्हें केन्द्रिय दरों पर मंहगाई भत्ता नहीं मिलता है तथा ३१ मार्च, १९५७ को जिनके परिलाभ १०० रुपये मासिक से अधिक नहीं थे।

(ख) २५ लाख रुपये का प्रावधान (१) १५ लाख रुपये पंचायतों को भू-राजस्व की वसूली के ३ रु० २ आ० प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता और (२) १० लाख रुपया पंचायतों द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों के लिये।

(ग) गत वर्ष की भांति म्यूनिसिपल बोर्डों को मुख्यतया विकास कार्यक्रमों के लिए १६ लाख रुपये का विशेष प्रावधान इस वर्ष भी रक्खा गया है।

(घ) साहित्य अकादमी के लिए १ लाख रुपया संगीत नाटक अकादमी के लिए २०,००० रु०।

(च) रोगियों के लिए औषधियों, शल्य यन्त्रों तथा सरंजाम के लिये अतिरिक्त प्रावधान ४.५० लाख रुपया।

Page No.8

(श्री हरिभाऊ उपध्याय)

(छ) देहाती क्षेत्रों के आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों के लिए १ लाख रुपये की अधिक धन - राशि की व्यवस्था की गई है।

(ज) नये खादी ग्रामोद्योग भवन (इम्पोरियम) के लिए १ लाख रु० का प्रावधान।

(झ) जोबनेर कृषि महाविद्यालय के लिए २.०३ लाख रुपये का प्रावधान।

(ट) भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त बांधों की दुरुस्ती तथा मरम्मत के लिए ३.५० लाख रुपया का प्रावधान। यह रकम कमिश्नरों के मार्फत खर्च की जाएगी।

(ठ) गाड़गिल समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त होने वाले १५० लाख रुपये के अनुदान से जो प्रशासनिक भवन बनाये जा रहे हैं उनके अलावा बनाये जाने वाले भवनों के लिए १० लाख तथा पुलिस भवनों के लिये १० लाख रुपये।

(ड) नायलन (Nylon) तथा धातु उद्योगों को ऋण के लिये ३० लाख रुपया।

इस प्रकार कुल पूंजी व्यय १७११.- ३२ लाख रुपया होता है जिसमें से १६३५.१८ लाख रुपया विकास योजनाओं के लिए है। बाकी रकम विकासेतर कुछ अनिवार्य मदों के लिए आवश्यक है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए कुल स्वीकृत राशि १०५.२७ करोड़ रुपया है (६७.४० करोड़ राजस्थान के लिए तथा ७.८७ करोड़ अजमेर के लिये)।

१६५६-५७ के लिये राजस्थान के निमित्त १६८३.४५ लाख रुपये के तथा अजमेर के निमित्त १५४ लाख रुपये के कुल खर्च की व्यवस्था की गई थी।

अनुमान है कि राजस्थान के लिये जो १६८३.४५ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था थी उसमें से १६५६-५७ के अन्त तक लगभग १४०० लाख रुपया खर्च हो जाना चाहिये। अजमेर की योजना के लिये १५४ लाख रुपये की स्वीकृत राशि में से केवल ४५ लाख रुपया खर्च होने की सम्भावना है।

अजमेर योजना में मन्द प्रगति इस कारण हुई कि अजमेर सरकार एकीकरण के मसलों में व्यस्त रही जिससे योजनाओं को अन्तिम रूप देने में आवश्यकता से अधिक समय लग गया।

राजस्थान के कार्यक्रम में जिन मदों पर स्वीकृत राशि से कम व्यय हो पाया है उनमें मुख्य सार्वजनिक निर्माण के कार्य हैं जिनको प्रगति में जहाजरानी की अनिश्चित् स्थिति के फलस्वरूप सामग्री प्राप्त न होने के कारण बाधा पड़ी है। बिजली के क्षेत्र में यह बात विशेष रूप से लागू होती है। सिंचाई, सड़कों व भवनों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत संतोषजनक प्रगति हुई, परन्तु सीमेंट, इस्पात, कोयले तथा अन्य सामग्री की कमी बराबर महसूस होती रही। फरवरी व मार्च, १६५७ के आम चुनावों के निमित्त कर्मचारियों तथा मोटर गाड़ियों का जो उपयोग किया गया उसमें वर्ष के एक निर्णायक समय में प्रगति कुछ रुक गई।

१६५६-५७ के कार्यक्रमों में श्रम प्रधान परियोजनाओंपरजोर दिया गया था। वास्तवमें लागत का ७० प्रतिशत ऐसी परियोजनाओं पर खर्च किया गया जो प्रत्यक्ष रोजगार देने

Page No.9

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

वाली हैं तथा जिनके पूरा होने पर आस-पास के देहाती क्षेत्रों का जीवन स्तर प्रत्यक्ष रूप से ऊंचा उठेगा।

१९५७–५८ के लिये राजस्थान व अजमेर के संयुक्त राज्य के लिये कुल २३४२.७४ लाख का प्रावधान स्वीकार किया गया है। इस राशि में से १४४.३२ लाख रुपया केवल अजमेर की योजना पर ही खर्च किया जायेगा। १९५७–५८ की आयोजना पर विदेशी विनिमय, इस्पात व सीमेंट के अभाव का विशेष प्रभाव पड़ा है। जो कार्य तथा परियोजनाएं पहले से चल रहीं हैं उन्हें, तथा मुद्रा विस्तार की प्रवृत्ति को रोकने के लिये अधिक उत्पादन के कृषि कार्यक्रमों को, प्राथमिकता दी गई है। हकीकत यह है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि पर जो अधिक जोर दिया गया है वह १९५७–५८ के कार्यक्रम का प्रधान पहलू है। मुख्य कृषि कार्यक्रम के ऊपर केवल १२४.४१ लाख रुपये की लागत का हिसाब लगाया गया है, परन्तु इसके अनुपूरक ६४४.७२ लाख रुपये की लागत का सिंचाई कार्यक्रम, जिसमें १००.१६ लाख रुपये की राजस्थान नहर परियोजना शामिल नहीं है, तथा १८१.६१ लाख रुपये की लागत का ग्राम-विकास कार्यक्रम हैं जिनसे अधिक उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। बीस बीज-गुणन फार्मों तथा ९० बीज भण्डारों की स्थापना के द्वारा बीजों के उत्पादन व वितरण का विस्तार करने के लिए कदम उठाये जायेंगे। इसी प्रकार खाद, कृत्रिम खाद तथा पौधों के संरक्षण की योजनाओं का भी विस्तार किया जाएगा।

ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष २४ विकास खण्डों के लिए प्रावधान रक्खा गया है। इससे चालू वर्ष में सारे राजस्थान में विकास खण्डों की संख्या १०० तक पहुँच जायगी, जबकि समूचे पुनर्गठित राजस्थान को आच्छादित करने के लिये २२६ खण्डों की आवश्यकता है।

सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत ७०.०३ लाख रुपया लघु सिंचाई कार्यों पर तथा ५७४.६६ लाख रुपया भाखरा व चम्बल की बहुद्देशीय परियोजनाओं और चालू बृहत् व मध्यम कार्यों पर खर्च किया जाएगा। आशा है कि जो बृहत् व मध्यम परियोजनाएं चल रही हैं उनमें से अधिकांश का कार्य, तथा भाखरा नहर के सिंचाई अंग का कार्य चालू वर्ष में पूरा हो जायगा। कृषि के बड़े कार्यक्रम को सहकारिता, वन विकास तथा पशुपालन के क्षेत्रों में सहायक विकास कार्यों का अधिक सहारा दिया जाएगा।

बिजली के क्षेत्र में भाखरा परियोजना सम्बन्धी शामिलाती कार्यों में हमारा अंश पूरा करने के लिये ४७६.७० लाख रुपये का प्रावधान इस आशा से किया गया है कि बिजली का जो सामान १९५६–५७ में प्राप्त नहीं हो सका वह चालू वर्ष में प्राप्त हो जाएगा।

सड़कों के कार्यक्रम के अन्तर्गत १८२.६० लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें सिंचित क्षेत्रों के कृषि उत्पादन को आसानी से इधर उधर ले जाने की आवश्यकता को ध्यान में रक्खा गया है।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा के लिए १७५.३२ लाख रुपये का तथा चिकित्सा और शहरी व देहाती जल व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए १३७.३४ लाख रुपये का प्रावधान है। कम आय वर्ग आवास

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

योजना तथा औद्योगिक आवास योजना चालू रहेंगी तथा गन्दी बस्तियों की सफाई और देहाती आवास की योजनाएं प्रारम्भ करने के लिए सांकेतिक प्रावधान किये गये हैं।

कुटीर उद्योगों तथा ग्रामोद्योगों के निमित्त १०२.८७ लाख की जो धनराशि रक्खी गई है उसमें दस्तकारी बोर्ड, खादी बोर्ड तथा हाथ करघा बोर्ड द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिये और विभाग द्वारा संचालित उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्य के लिये पूरी व्यवस्था है। पिछले कुछ वर्षों से खादी की उत्पत्ति में अद्भुत उन्नति हुई है और खादी का उत्पादन लगभग ६.७८ लाख गज से बढ़ कर लगभग ३१ लाख गज हो गया है। १९५६-५७ में चालू किये गये कार्यक्रमों से लगभग १०००० व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। इन उद्योगों द्वारा १९५७-५८ की रोजगार सम्भावना १३,००० एकक (यूनिट) आंकी जाती है।

राज्य सरकार राज्य में बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए भी काफी सुविधायें प्रदान करती है। बिजली की कमी एक बड़ी रुकावट है, कम से कम तब तक जब तक कि भाखरा व चम्बल परियोजनाओं से बिजली प्राप्त न हो। फिर भी सरकार यह निगाह रखती है कि इस अन्तरिम काल में बिजली के अभाव से औद्योगीकरण की कोई योजना खटाई में न पड़ जाय। जब कभी कोई निश्चित योजना सरकार के सामने रक्खी गई है उसके लिये बिजली का कुछ न कुछ प्रबन्ध किया गया है। भरतपुर की वैगन फैक्ट्री व सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के लिये बिजली की व्यवस्था की जा रही है। सीमेंट की यह फैक्ट्री एशिया भर में सबसे बड़ी होगी। सरकार ने इसके लिये ८० लाख रुपये का ऋण दिया है। यह ऋण बिजली उत्पादक यंत्रों के लिये है और इस नये बिजली घर से सरकार को १५०० किलोवाट बिजली मिल सकेगी। इससे इस क्षेत्र के औद्योगीकरण में सुविधा होगी।

चालू वर्ष में श्रम कल्याण के लिए १३.४७ लाख रुपये अलग रखे गये हैं।

समाज कल्याण की मद के अन्तर्गत पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण के लिये धन राशि स्वीकृत की गई है। इन जातियों में हरिजन कहलाने वाली अनुसूचित जातियां, भील, काथोडिया, सहरिया, आदि अनुसूचित जन जातियां, सांसी कंजर आदि विमुक्त जातियां तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं। समाज कल्याण के कार्यक्रम में गाडिया लोहारों तथा भूमिहीन कबीलों को आदर्श बस्तियों में बसाने की, इन्हें सहकारी समितियों में संगठित करने की आदर्श गांव स्थापित करने की, पक्के मकान बनाने की तथा उनके बालकों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने की योजनायें सम्मिलित हैं। अस्पृश्यता निवारण के लिए भी विशाल पैमाने पर प्रचार किया जाता है। चालू वर्ष में अनुसूचित क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जायगा। सामाजिक व नैतिक स्वास्थ्य तथा जच्चा बच्चा की देखभाल के कार्यक्रम के अन्तर्गत दो सरकारी आश्रम स्थापित किये जायेंगे। छुड़ाई गई स्त्रियों के लिये जयपुर में एक महिला सदन शुरू किया जा रहा है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

समाज कल्याण बोर्ड, जिसे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार से सहायता मिलती है, स्त्रियों तथा बच्चों के कल्याण के कार्य करता है। इसकी ओर से गावों में विशेष कल्याण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।

प्रत्येक क्षेत्र की योजनाओं से सम्बन्ध रखने वाली पूरी जानकारी बजट में दी हुई है। अतः मैं उनके ब्योरे में नहीं जाना चाहता।

राजस्व तथा पूंजीय लेखों पर कुल खर्च ४६३०.२६ रु० है।

यदि (१) सार्वजनिक हित व कल्याण के विभागों, (२) राजस्व वसूली, (३) प्रशासन (४) वाणिज्य विभागों तथा (५) सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत व्ययों का विश्लेषण किया जाय तो पता लगेगा कि पिछले वर्षों की तुलना में सार्वजनिक हित व कल्याण के विभागों तथा सामाजिक सेवाओं पर किये जाने वाले खर्च में विशेषतया बहुत उन्नति हुई है।

अनुबन्धकर्ता (Covenanting) राज्यों के बजटों के अनुसार सामाजिक सेवाओं पर १९४८-४९ में ३४६.१५ लाख की रकम खर्च की गई। खर्च की यह रकम उत्तरोत्तर बढ़ कर १९५१-५२ में ४५४.६१ लाख, १९५२-५३ में ४७१.६६ लाख, १९५३-५४ में ५४३.४६ लाख, १९५४-५५ में ६५६.५६ लाख और १९५५-५६ में ७४८.०५ लाख हो गई। १९५६-५७ के बजट अनुमान में १००२.०६ लाख रुपया रक्खा गया था। ये आंकड़े पुनर्गठन से पूर्व के राजस्थान से सम्बन्ध रखते हैं। १९५७-५८ के अनुमानों में कुल १२७४.५६ रू० का प्रावधान है। सार्वजनिक हित व कल्याण के विभागों का व्यय बढ़ते बढ़ते ३०७७.१२ लाख तक पहुंच गया है। प्रशासनिक खर्च भी बढ़ा है, परन्तु यह बढ़ोतरी अधिकांश में कर्मचारियों को पहले से अच्छे वेतन दिये जाने के कारण तथा योजना कार्यक्रमों के परिपालन के लिये अतिरिक्त नियुक्तियों के कारण हुई है।

राजस्थान के निर्माण के समय विनियोग की कुल राशि जो विभिन्न अनुबन्धकर्ता राज्यों से विरासत में मिली थी, १ ३७.२७ लाख रुपये थी जिसमें से १२४.३० लाख रुपये न्यासनिधि के थे। १ अप्रैल, १९५६ को विनियोग की कुल राशि १५२०.७५ लाख रुपये थी जिसमें न्यासनिधि के २७.५७ लाख रुपये भी शामिल थे। ३१ मार्च, १९५७ को यह राशि १५२३.२१ लाख थी जिसमें न्यासनिधि के २७.१४ लाख रुपये शामिल थे परन्तु ४ प्रतिशत राजस्थान विकास ऋण १९६८ के ३९.५० लाख रुपये शामिल नहीं थे।

संचित निधियों व पूर्व नियत राशियों के अन्तर्गत धारित १२३७.४० लाख रुपये के सरकारी प्रोमीसरी नोटों में से १२१७.५७ लाख रुपये के अभिहित मूल्य (Face value) के नोट स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास बन्धक रख दिये गये हैं ताकि विकास कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था के लिए राजस्थान सरकार के केन्द्रीय चालू खाते में से ओवर ड्राफ्ट प्राप्त किया जा सके। १ अप्रैल, १९-५६ को ७४५.३२ लाख रुपये के ओवर ड्राफ्ट की स्थिति थी। योजना पर तथा अन्य विकास विभागों पर भारी खर्च के कारण, अजमेर की राजस्व घटी की सहायता प्राप्त न होने के कारण और सिंचाई व सड़कों की कुछ योजनाओं के लिए भारत सरकार से

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ऋण की कम रकम मिलने के कारण ओवर ड्राफ्ट बढ़ गया है और ३१ मार्च, १६५७ को इसकी रकम १०६२.८३ लाख रुपये हो गई है।

भारत सरकार से प्राप्त ऋणों की कुल राशि ३१ मार्च, १६५७ तक ४८५६.४६ लाख रुपये थी। इसमें विस्थापितों की सहायता तथा पुनर्वास से सम्बन्धित ऋण के ४४५.५० लाख रुपये तथा भाखरा नांगल परियोजना के लिए ऋण के २०२२.४३ लाख रुपये शामिल हैं।

अब मैं साधनों की स्थिति सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इस वर्ष अतिरिक्त कर भार का लक्ष्य १.८ करोड़ रक्खा गया है। आन्तरिम बजट में राजस्व की घाटी ४४२.२६ लाख रुपये की दिखाई गई है। ३६.३२ लाख रुपये के खर्च की नई मदों के शामिल होने से यह घटी बढ़कर ४८१.६१ रुपये हो गई है।

बकाया रकमों की स्थिति जांची-पड़ताली गई है और इस वर्ष के दौरान में काफी रकम वसूल होने की बहुत सम्भावना है। अनुमानों में इस वसूली की जमा दिखाई गई है। वसूली के लिए एक विशेष अभियान प्रारम्भ किया जायगा और प्रशासनिक तन्त्र भी कसा जायगा। सरकार इस समस्या को दृढ़ता के साथ निबटाना चाहती है और कम से कम समय में पावनों की वसूली के लिये भरपूर प्रयत्न का विचार कर रही हैं।

स्थिति यह है कि अतिरिक्त आय को हिसाब में लेने के बाद भी हमारे सामने ३८५.६१ लाख रुपये का भारी घाटा बाकी रहता है, और बिना नये कर लगाए हमारा काम नहीं चल सकता। अभी तक तैयार किये गए प्रस्तावों के अनुसार, आशा यह है कि १६-५७-५८ में अतिरिक्त कर लगा कर हम १०५ लाख रुपया वसूल कर सकेंगे: कृषि आयकर द्वारा २ लाख रुपये, आबकारी कर द्वारा १५ लाख रुपये, मोटर गाड़ियों पर टैक्स के द्वारा १० लाख रुपये, मनोरंजन कर द्वारा ३ लाख रुपये, बिक्रीकर के द्वारा ५० लाख रुपये, सिंचाई के अन्तर्गत ५ लाख रुपये तथा उन्नतिलाग (Betteiment levy) के द्वारा २० लाख रुपये। सरकार इन प्रस्तावों का परिपालन सम्बन्धित अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार करेगी। यदि किसी कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी तो वह सदन में पेश किया जायगा। कृषि आयकर संशोधन विधेयक तथा मनोरंजन कर विधेयक विधान सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किये जा चुके हैं। अखिल भारतीय नीति के अनुरूप अफीम की मात्रा में धीरे धीरे कमी होने के कारण आबकारी कर में लगभग २० लाख रूपये की हानि होगी। सरकार ने १ अप्रैल, १६५७ से शराब, अफीम व अन्य मादक द्रव्यों की दरें बढ़ा दी हैं, और इन उपायों के फलस्वरूप १५ लाख रुपये के अतिरिक्त राजस्व की आशा है। बिक्री कर के अन्तर्गत (१) संसद द्वारा अधिनियमित कानून के मातहत अन्तर्राज्य व्यापार पर बिक्री कर लगाने से, (२) राजस्थान बिक्रीकर कानून को अजमेर में लागू करने से, (३) दरों में परिवर्तन करने से, तथा (४) कर-मुक्त वस्तुओं की संख्या में कमी करने से, राजस्व में वृद्धि की आशा की जाती है।

इस प्रकार राजस्व खाते में २८०.६१ लाख रुपये की शुद्ध कमी रहेगी। वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत भारत सरकार से प्रत्याशित अनुदान सहायता के

Page No.13

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

द्वारा यह कमी बहुत कुछ घटाई जा सकेगी। जहां तक पूँजीय व्यय के लिए आवश्यक वित्त का प्रश्न है, हमें भारत सरकार से मिलने वाली सहायता के अलावा शेष रकम का इन्तजाम करना है। इस वर्ष ढाई करोड़ का ऋण जारी किया जायगा। गत वर्ष हमने ३ करोड़ रुपये के ऋण की मांग की थी और खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर यह धन राशि पूर्णत: प्राप्त हो गई थी। इस ऋण में अधिकतर उद्योग-पतियों, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं ने रुपया लगाया था। कुछ ही घन्टों में बंद हो जाने के कारण राज्य की जनता को इसमें हिस्सा बटाने का पूरा अवसर नहीं मिला। इस बार राज्य के निवासियों को ऋण में अपनी रकम लगाने का पूरा मौका देने के लिए विशेष प्रयत्न किया जायगा। इस ऋण का उपयोग विकास कार्यक्रमों के परिपालन में किया जायगा।

साधनों के बारे में अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले मैं अल्प बचत योजना की चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ। पंच-वर्षीय योजना की सफलता में अल्प बचत योजना को बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करना है। आज देश के वित्तीय साधनों को संगठित गति देने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इस दिशा में अल्प बचत आन्दोलन बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा इस योजना को सामुहिक आन्दोलन का रूप देकर देश की विकास योजनाओं में जनता की रुचि बढ़ाई जा सकती है और उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में उसका क्रियात्मक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अत: समस्त सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं तथा संस्थाओं स्थानीय नेताओं अकेलिए, यह अत्यन्त देश हितकारी कार्यक्षेत्र है।

गत तीन वर्षों के आंकड़ों से पता लगता है कि यह योजना लोक-प्रिय होती जा रही है। १९५३-५४ में इस योजना के द्वारा ३१ लाख रुपया इकट्ठा किया गया था। यह रकम बढ़ते बढ़ते १९५४-५५ में ११६.५ लाख, १९५५-५६ में १६५ लाख तथा १९-५६-५७ में २ करोड़ तक पहुंच गई है। अब इस योजना को देहात में प्रचलित करने के विभिन्न उपायों का सहारा लिया जा रहा है और इस कार्य में पंचायतों का उपयोग किया जा रहा है। सदन के सदस्यों से और उनके द्वारा राजस्थान की जनता से मेरी अपील है कि राष्ट्रहित की इस योजना को सफल बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करें।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, कर जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार विशेषज्ञों की एक राज्य वित्त जांच-समिति, मैसूर के भूतपूर्व दीवान श्री माधवराव की अध्यक्षता में नियुक्त कर दी गई है। यह समिति राज्य के आय साधनों की स्थिति की तथा कर व्यवस्था की पड़ताल करेगी और साधनों को बढ़ाने के विषय में सुझाव देगी। समिति सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियों की भी पड़ताल करेगी और खर्च में कमी की सम्भावनाओं के बारे में सुझाव देगी।

राजस्थान में भूदान की प्रगति भी काफी सन्तोषजनक है। भूदान में अभी तक करीब चार लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। इसमें बड़े बड़े जागीरदारों से लगाकर दीन-हीन किसान तक का योगदान है। इसके अलावा लगभग आधे दर्जन गांव ग्राम दान में प्राप्त हुए हैं। भूदान यज्ञ अधिनियम बना दिया गया है और इसके अन्तर्गत भूदान में प्राप्त भूमि के बटवारे के लिए एक भूदान यज्ञ बोर्ड

Page No.14

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

स्थापित कर दिया गया है। सरकार ने विभिन्न जिलों में इस बोर्ड को कुछ कृषि योग्य भूमि दी है और भविष्य में इस प्रकार की अधिक भूमि देने का विचार है। सरकार की इस यज्ञ के साथ पूरी सहानुभूति है और वह इसे सब प्रकार का प्रोत्साहन देना अपना कर्तव्य समझती है।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को आश्वासित करना चाहता हूँ कि सरकार विकास योजनाओं को यथासम्भव शीघ्रता के साथ पूरा करने के लिये कृत संकल्प है और इनकी प्रगति में रुकावट डालने वाली सब बाधाओं और कठिनाईयों को चाहे वे प्रशासनिक हों अथवा अन्य प्रकार की, दूर करने के लिये कटिबद्ध है, क्योंकि हम जिस महान् आदर्श की ओर अग्रसर होना चाहते हैं उसमें ये योजनाएं बहुत सहायक होंगी। निस्संदेह हम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमको पूरा भरोसा है कि उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। परन्तु सदन के सहयोग, मार्गदर्शन तथा समर्थन के बिना यह संभव नहीं है। कार्य बड़ा विशाल है परन्तु देश ने इसे पूरा करने का बीड़ा उठाया है। अतः इस महान् यज्ञ में आहुति डालना हम सबका, प्रत्येक राजस्थानी का, परम पुनीत कर्त्तव्य है।

जय हिन्द

(करतल-ध्वनि)

(उपरोक्त भाषण के पश्चात विधान सभा की बैठक मध्यान्ह १२.४ बजे, दिनांक ७ मई, १९५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, ५ मई, १६५७,)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा आय–व्ययक भाषण

राजस्थान राज्य का १६५७-५८ का विस्तृत आय-व्ययक विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते समय श्री वित्त मन्त्री ने आय-व्ययक भाषण पढ़ा।

स्कम्भ

७ मई, १६५७ की कार्य-सूची

१. राज्यपाल महोदय का सन्देश।

२. जन-लेखा व प्राक्कलन समितियों सम्बन्धी घोषणा।

३. राजस्थान चेचक टीका विधेयक, १६५७ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित,)।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ६ मई, १९५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६२७	४२	एक सिद्धि के	के सिद्धि के
,,	३२	जिसमें देश के	जिससे देश के
६२९	१०	६ करोड़, रुपया	६ करोड़ रुपया
६३०	प्रारम्भ मे	—	आय-व्ययक भाषण
		श्री हरिभाउ उपाध्य	(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)
,,	१०	अरिरिक्त कों	अतिरिक्त करों
६३२	२८	अनावर्तक	आवर्त्तक
६३७	११	की विशिष्टता ये हैं	की विशिष्टतायें ये हैं
६४२	६	धनराशि रखी गई हैं	धनराशि रखी गई है
६४३	३	सरकर ने	सरकार ने
,,	१२	समाज कल्याग की	समाज कल्याण की
६४७	११	(Bettei ment levy	(Bettrement levy)
६४८	३५-३६	कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं स्थानीय नेताओं अकेलिए	कार्यकर्त्ताओं, संस्थाओं तथा स्थानीय नेताओं के लिये
६५२-६५३	२	(सोमवार, ५ मई, १९५७)	(सोमवार, ६ मई, १९५७)